



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239920
CG-DL-E-28102022-239920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4840]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944

No. 4840]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5058(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 08 जुलाई 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3137(अ), तारीख 04 जुलाई 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "बर्तमान" और "द स्टेट्समैन" में तारीख 16 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन प्रकाशन पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: हुगली

क्रम संख्या	थाना का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	विनिर्दिष्ट भाग	अर्जित क्षेत्रफल		मालिक का नाम/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
							एकड़ में	हेक्टर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	चण्डीतला	तिसा-70 (एल. आर.)	1611	निजी	शुना	पश्चिम भाग	0.083	0.0336	मिछरीलाल माल पिता— अम्बिका चरण माल, निज; नमिता कोले पति— दिलीप, निज; राधारानी माल पति— गोपाल चंद्र, निज; प्रवीर कुमार बाली पिता— हरेन्द्रनाथ, निज; झुमा सानी पति— सुकुमार, निज; पुष्पा माल पति— बिमल चंद्र, निज; अनन्त कुमार बाली पिता— हरेन्द्रनाथ, निज; तापस कुमार बाली पिता— हरेन्द्रनाथ, निज; भास्कर माल पिता— बिमल चंद्र, निज; अभिजीत माल पिता— गोपाल चंद्र, निज; पवन कुमार माल पिता— जुगल चंद्र, निज; उत्तरा माल पति— बिस्वजीत, निज; जयन्त कुमार माल पिता— जुगल, निज; सन्दीपा माल पति— बिस्वजीत, निज; अजय कुमार माल पिता—

								जुगल, निज; माया माल पति— बिभूति चंद्र माल, निज; दीनबंधु माल पिता— बिभूति चंद्र माल, निज; समर कुमार माल पिता— बिभूति चंद्र माल, निज; स्वपन कुमार माल पिता— बिभूति चंद्र माल, निज; संजय माल पिता— बिभूति चंद्र माल, निज।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2350]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 5058(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3137 (E), dated the 4th July, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th July, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Hooghly in the State of West Bengal;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Bartaman” and “The Statesman” dated the 16th July, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Hooghly in the State of West Bengal.

DISTRICT: HOOGHLY

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO.	PLOT NO.	TYPES OF LAND	NATURE OF LAND	SPECIFIC PORTION	ACQUIRED AREA		NAME OF THE LAND OWNER/ INTERESTED PERSON
							ACRE	HECTARE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	CHANDITALA	Tisa-70 (L. R.)	1611	PRIVATE	SUNA	WESTREN	0.083	0.0336	MICHRILAL MAL SON OF AMBIKA CHARAN MAL, NIZ; NAMITA KOLEY WIFE OF DILIP NIZ; RADHARANI MAL WIFE OF GOPAL CHANDRA, NIZ; PRABIR KUMAR BALI SON OF HARENDRANATH, NIZ; JHUMA SANI WIFE OF SUKUMAR, NIZ; PUSPA MAL WIFE OF BIMAL CHANDRA, NIZ; ANANTA KUMAR BALI SON OF HARENDRANATH NIZ; TAPAS KUMAR BALI SON OF HARENDRANATH NIZ; BHASKAR MAL SON OF BIMAL CHANDRA NIZ; ABHIJIT MAL SON OF GOPAL CHANDRA, NIZ; PABAN KUMAR MAL SON OF JUGOL CHANDRA NIZ; UTTARA MAL WIFE OF BISWAJIT NIZ; JAYANTA KUMAR MAL SON OF JUGOL NIZ; SANDIPA MAL WIFE OF BISWAJIT NIZ; AJOY KUMAR MAL SON OF JUGOL NIZ; MAYA MAL WIFE OF BHIBHUTI CHANDRA MAL NIZ; DINABANDHU MAL SON OF

									BHIBHUTI CHANDRA MAL NIZ; SAMAR KUMAR MAL SON OF BHIBHUTI CHANDRA MAL NIZ; SWAPAN KUMAR MAL SON OF BHIBHUTI CHANDRA MAL NIZ; SANJOY MAL SON OF BHIBHUTI CHANDRA MAL NIZ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2350]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)